न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 49/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/61

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स– SMS Traders, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाडा 2. कुतबद्दीन लाईटवाला पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स– Mizan Marketing, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाडा 3. Manoj Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli Pin 396230 4. Vaibhav Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli Pin 396230

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11–10–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 13–09–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14–06–2022 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स– SMS Traders, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाई[illegible]स्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर Carbonat[illegible] Kaycee English) के 120 पैक बोतल प्रत्येक बोतल 200 एम.एल का आम [illegible]ता को विक्रय हेतु पा[illegible]में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

देते हुए **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** के 24 पैक मूल बोतल वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** के 24 पैक मूल बोतल के चार भाग करके चार पैकेट तैयार करके मौके पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1108** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/251–252 दिनांक 19–07–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 602 दिनांक 28–06–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1108** Misbranded under section 3(1)(zf)(A)(I) & C(I) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–09–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से अथोरिटी लेटर लेकर श्री संतोष तिवारी पिता श्री मुरारीलाल तिवारी उप[illegible] अप्रार्थी सं. 1, 2 व अप्रार्थी सं 3,4 की ओर से श्री संतोष ति[illegible]वारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत [illegible] अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीक[illegible]है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/251–252 दिनांक 19–07–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 602 दिनांक 28–06–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1108** Misbranded under section 3(1)(zf)(A)(I) & C(I) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(I) & C(I) के तहत मिसब्राण्डेड **Carbonated Water Ornage (Brand- Kaycee English)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर 1.**अब्बास पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स– SMS Traders, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाडा को रूपये** 15,000/– **(अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र),** 2.**कुतबद्दीन लाईटवाला पुत्र श्री फैजुलाजी लाईटवाला मैसर्स– Mizan Marketing, आशापुरा परतापुर, मैन रोड परतापुर, बांसवाडा को रूपये** 15,000/– **(अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र),** 3. **Manoj Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli** को रूपये 30,000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र), 4. **Vaibhav Goel (Partner) Silvassa Bottling Co. Survey No. 131, Khanvel Silvassa Main road, Near Global Health Care, Silvassa, Dadar Nagar Haveli** को रूपये 30,000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner